Debit Authority Letter for Post-Matric fee reimbursement

Provided by Social Welfare Department

(Mandate to debit the Account)

Name of the Bank, Syndicate Bank Syndicate Bank, Rama Dental College, Kanpur.

Customer Name: ....

Customer Account Number: ....

The Branch Head,
Syndicate Bank,
Sharda Nagar / RDC,
Kanpur

Dear Sir,

I irrevocably authorize Syndicate Bank, Sharda Nagar /Rama Dental College, Kanpur to debit my SB Account No: .... By `………………………/- only (.. only) provided by the State Government as reimbursement of fee under Scheduled Caste/scheduled Tribe post matric fee reimbursement scheme provided by Samaj Kalyan Department & remit this amount (20____-____) to Director, Dr. Ambedker Institute of Technology for Handicapped, U.P. Kanpur.

(Name of the institution) **Account No 86982150000025** maintained at Syndicate Bank, ..., Kanpur (Name of the Bank & Branch).

(in case the beneficiary account is with some other bank)

RTGS/NEFT (IFSC) CODE of the beneficiary Bank...

Name of the Bank & Branch: ...., Kanpur

I/We request you to make the above remittance. It is being understood that the remittance is to be sent at my/our risk and my/our responsibility and on the distinct understanding that no liability whatsoever is to attach to the Bank for any loss or damage arising or resulting from delay in transmission, delivery or non delivery of the message or for any mistake. I/We also hereby undertake to refund to bank any over remittance, which is made by mistake in beneficiary's account. I/We also understand that remittance would be made as per RBI, RTGS/NEFT Scheme.

Signature of the Customer

Name :...

Date :...

Place :...

Branch/Year/Category :...

Must be sent to NHFDC within 20 days

Receipt

Scholarship Awarded to the Students Under Scholarship Scheme (Trust Fund)

Received from National Handicapped Finance and Development Corporation (Ministry of Social Justice and Empower, Govt. of India) NHFDC, PHD HOUSE, 3RD Floor, 4/2 Siri Institutional Area, August kranti Marg, New Delhi-110016 a sum of Rs. …………………/- (Rupees……………………………………………………………………………….) for Scholarship for the Academic Year 20__ __-__ __ under Scholarship Scheme (Trust fund) in my A/c No. ……………………………………………IFSC code…………………………… at………………………………………………Branch…………………………. dated……………………..

The details of Scholarship are as follows:

i) Non-Refundable Fees	:	Rs. ……………………/-
ii) Maintenance allowance	:	Rs. …………………… /-
iii) Books/Stationery allowance	:	Rs. ……………………/-
iv) Aids and Appliance Amount	:	Rs. ……………………/-
Total	:	Rs. ………………………/-

Signature of Recipient: …………………………
(On revenue Stamp)

Registration no.: TF/__ __/__ __ __ __ __.

Name : ……………………………………………………………….

Address : ………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………

Mobile No. : ……………………………………………………………...

In case of Assistive Device component of scholarship released: - It is certify that the student has utilized/purchased the Assistive Device for the purpose for which scholarship released by NHFDC. (Proof of purchase of Assistive Device enclose: Bill/invoice)

Place: ……………………

Date: ………………………

Countersigned by

Head of the Institution

सत्र 2018–19

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अनिवार्य रूप से कुल 2 प्रतियों में जमा किया जाना है।

1. Photo copy of High School & Intermediate mark sheet and Certificate with Board Verification (UP Board/CBSE/ICSE/others).
2. Photo copy of Income Certificate, Caste Certificate, Domicile Certificate with Verification by Board of Revenue website (www.bor.up.nic.in) and (http://edistrict.up.nic.in).
3. Search/Track Student Record, Status of application 2017-18 Certificate from SWD website.
4. Father's employer's Certificate/Pension Receipt/pay slip/gram pradhan income certificate/ Ration Card with khatauni (for farmers).
5. Photo copy of Aadhar card.
6. Photo copy of Bank A/c Passbook (Only Syndicate Bank,Sharda Nagar/RDC lakhanpur).
7. Photo copy of Last year passing mark sheet or internet result copy verified by HODs.
8. If old students are filling online fresh application form SWD then affidavit is required regarding reason.
9. Photo copy of fee receipt of session 2018-19(not applicable of SC/ST/Zero Fee students)
10. Self-attest all the enclosures.
11. UPSEE Counseling Letter (Photocopy) compulsory.

नोट–

1 – पाठ्यक्रम का नाम B.Tech. ही भरे अन्य पाठ्यक्रम सिलेक्ट न करे तथा एलॉटमेंट लेटर पर प्रदर्शित ब्रांच ही सिलेक्ट करें।

2 – आधार नं0 की जगह अन्य कोई आई0डी0 नही भरे तथा आधार नं0 को आवेदन पत्र पर दिये गये बैंक के माध्मय से खाते को लि ंक कराना भी अनिवार्य है।

3 – विश्वविद्यालय/बोर्ड पंजीयन संख्या के स्थान पर नवप्रवेशित छात्र एलाटमेंट लेटर पर प्रदर्शित एप्लीकेशन नं0 भरे एवं पुराने छात्र ए0के0टी0यू0 द्वारा प्राप्त इनरोलमेंट नं0 ही अनिवार्य रूप से भरे।

4 – आनलाइन आवेदन पत्र भरी गयी सभी प्रविष्टियों की जांच भलीभांति मूलप्रमाण पत्रों से कर ले त्रुटि होने की दशा में सम्पूर्ण दायित्व छात्र/छात्रा का होगा।

5 – नान रिफण्डेबल अनिवार्य वार्षिक शुल्क –
I/II Lateral Entry = 67800/=
II/III/IV B.Tech. = 67500/=

6 – एस0सी0/एस0टी0 के छात्र/छात्राओं को 100 रूपये के नानज्यूडीशियली स्टाम्पपेपर पर अनुबंध पत्र तैयार कर जमा कराना अनिवार्य है तथा एक घोषणा पत्र (सभी जाति वर्गो के लिये) भी जमा किया जाना है। जिसका प्रारूप कालेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र
समक्ष
संस्थाध्यक्ष

मै..पुत्र/पुत्री श्री..को ग्राम..............................मुहल्ला.......................

जनपद...का निवासी हूँ, निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1 – यह कि मै ग्राम ....मुहल्ला,...............................तहसील..........................जिला.........................उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (आय/जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)

2 – यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)

3 – यह कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय रूप्ये दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

4 – यह कि सम्प्रति मै...............................शैक्षिक संस्थान के ....पाठ्यक्रम में............ वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत् हूँ। संस्था ....विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यताप्राप्त है।

5 – यह कि मैने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा।

6 – यह कि मैने पिछली परीक्षा ....वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से घोषणा पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।

7 – यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नही मिल रही है।

8 – यह कि मेरा बचत खाता संख्या ....बैंक ....के ....शाखा में खुला हुआ है।

9 – यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी मे है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

दिनांक :

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....................

नाम..

पिता/पति का नाम...............................

पता..

नोट– समाज कल्याण विभाग द्वारा सत्र 2018–19 हेतु यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रृटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ण अनुमन्य नही होगी। साथ ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति केवल शासन के पास बजट की उपलब्धता पर ही देय होगा।

पिता/पति के हस्ताक्षर :..

पिता/पति का नाम :..

विज्ञापन 2018–19

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों आदि का विवरण केवल आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अनिवार्य व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2014–15 से लागू की गयी है। अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ही वर्ष 2017–18 से यह सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 2018–19 में व्यवस्था निम्नवत् होगी:–

2– शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये दिनांक 01 जून 2018 से 30 जुलाई 2018 तक स्वयं आनलाइन आवेदन किया जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों आदि को सम्मिलित करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 30 जुलाई 2018 (वाह्य प्रदेश हेतु दिनांक 20 जुलाई 2018) के बाद कोई भी आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

3– मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता दिनांक 15 जुलाई 2018 तक प्राप्त हो चुकी होगी।

4– मास्टर डाटाबेस में जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के नाम पहले से शामिल हैं, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष 2018–19 हेतु अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्व में प्रदान किये गये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से आनलाइन भर कर मास्टर डाटाबेस में अद्यतन (**Update**) करते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करना होगा। शिक्षण संस्थान अपने यहां असंचालित पाठ्यक्रम को लाक नहीं करेगें तथा नवीन पाठ्यक्रम को मास्टर डाटा में जोडकर एवं निर्धारित शुल्क को अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करेगें। शिक्षण संस्थान द्वारा शुल्क के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश भी वेबसाइट पर यथास्थान अपलोड किया जायेगा।

5– शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर तथा आधार नम्बर भी वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से किया जाना अनिवार्य होगा।

6– सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्र का अनिवार्य रूप से आधार नम्बर बनवाना एवं नामांकन संख्या (प्रथम वर्ष को छोडकर) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7– मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये 15 जुलाई 2018 तक मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नये शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों को वेबसाइट के इंस्टीटयूट सेक्शन में जाकर स्वयं निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन आवेदन करके जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

8– प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को निर्धारित तिथि 20 जुलाई 2018 तक समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करना होगा एवं छात्रवृत्ति वेबसाइट पर निर्धारित लागिन से स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा। प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई मेल पर दिया जायेगा। संस्थायें आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ईमेल एड्रेस ही दें। लागिंन एवं पासवर्ड प्राप्ति हेतु उपनिदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर)

25/05/18
उप निदेशक

(जगदीश प्रसाद)
आई० ए० एस०
निदेशक

समाज कल्याण निदेशालय,उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्धारित प्रकिया अनुसार आवेदन करना होगा। वाहय प्रदेश स्थित संस्थान मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करने हेतु किसी भी समस्या के लिये दूरभाष संख्या 0522–2204177, 0522–2209270 (प्रातः 10 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क करें।

9– प्रदेश के बाहर केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों के अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय है। प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्र को स्कैन कर ई–मेल– **dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in** पर 20 जुलाई 2018 तक उपलब्ध करानी होगी।

10– प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थानों को लागिन आई डी एवं पासवर्ड मिलते ही विलम्बतम दिनांक 30.07.2018 तक अपने शिक्षण संस्थान की समस्त सूचनाएं एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस स्ट्रक्चर निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन भर कर एवं यथास्थान उसकी स्कैन कापी अपलोड करके उसे लाक करना होगा। उपनिदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मुख्यालय स्तर पर प्रदेश के बाहर स्थित सभी संस्थानों की फीस आदि का विवरण दिनांक 30.8.2018 तक लाक करेंगे।

11– मास्टर डाटाबेस में उक्त प्रकिया अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का नाम निर्धारित तिथि तक सम्मिलित व डिजिटली हस्ताक्षरित होगा एवं सत्यापन/जांचोपरान्त सही पाया जायेगा, उन्हीं शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के संस्थागत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित छात्रों को नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी।

12– जनपद के बैंक, बैंक शाखाओं के नाम एवं उनके आई0एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित करने हेतु बैक मास्टर को अद्यतन करने के लिये एवं प्रेषित पाठ्यक्रमों के मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम सम्मिलित करने, परिवर्तन करने या अन्य कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपना अनुरोध निदेशक समाज कल्याण को दिनांक 16.07.2018 तक प्रेषित करना होगा। मास्टर डाटा में बैंक, बैंक शाखा तथा आई0एफ0एस0 कोड एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निदेशालय स्तर से अद्यतन (**Update**) कराया जायेगा। समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपद में स्थित कोई भी बैंक/बैंक शाखा/बैंक शाखा का आई0एफ0एस0 कोड मास्टर डाटा में छूटने न पाये।

13– मास्टर डाटाबेस में नवीन संस्थाओं के सम्मिलित होने के लिए बाह्य प्रदेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रदेश के भीतर एवं वाह्य प्रदेश हेतु इंस्टीट्यट सेक्शन में लिंक वेबसाइट **http://scholarship. up.nic.in** पर उपलब्ध है।

14– छात्र अपने आवेदन पत्र की स्थिति लागिन पर उपलब्ध स्टूडेन्ट सेक्शन आप्सन में जाकर सम्बन्धित आप्सन से अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि एवं पासवर्ड डालकर जान सकते हैं।

15– संस्था एवं छात्र वर्ष 2018–19 की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की समय–सारिणी, नियमावली–2018, पूर्व नियमावली एवं विभाग द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं को वेबसाइट **http://scholarship. up.nic.in** के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं।

25.5.18

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।

25/05/18
पी0 के0 त्रिपाठी
उप निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1—छात्र क्या करें:—

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा— हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण—पत्र का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण—पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच कर लें तदोपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण—पत्र क्रमांक, आय, आधार नम्बर तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (**Submit**) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- आवेदन पत्र भरने के लिये (01 जुलाई 2018 से प्रारम्भ) निर्धारित अन्तिम तिथि (कक्षा 9—10, कक्षा 11—12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु 31 अगस्त 2018 तक) से पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से **KYC(Know your customer)** पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक भाखा में **KYC(Know your customer)** फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे।
- बचत बैंक खाता संख्या (**CBS**) एवं **IFSC** कोड को भलीभांति जांच लें। बचत बैंक खाता संख्या एवं **IFSC** कोड भरने में जीरो (0) और ओ (**O**) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। यह भी ध्यान रखें कि आपका खाता संख्या 11 (ग्यारह) अंकों से कम का न हो। खाता संख्या 11 अंकों से कम अंकों का होने पर सम्बन्धित बैंक शाखा से सम्पर्क करें।
- अपने आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ बचत बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (**Non refundable**) फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व **IFSC** कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (**GOVT**) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (**AIDED**) संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (**Regular**)/स्ववित्त पोषित (**SELF FINANCE**) व उसके वर्ष का अंकन सही—सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
- छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आईडी स्वयं की ही दें।

25/05/18

पी0 के0 त्रिपाठी
उप निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण

(जगदीश प्रसाद)
आई0 ए0 एस0
निदेशक
समाज कल्याण, उ0 प्र0

- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु **https://scholarship.up.nic.in** पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लघंन कदापि न करें अन्यथा आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा–हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (**Share**) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (**Fail**)छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- यदि आपका डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सन्देहास्पद डाटा का अभिलेखों सहित उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होती है तो जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (**REJECT**) कर दिया जायेगा।

15-5-18

निदेशक
समाज कल्याण

25/05/18
पी० के० त्रिपाठी

SPECIMEN COPY.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 151836

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक पत्र आज दिनांक 05/01/2017 को (1) कु0/श्रीमती/श्री. Jay Singh जाति अनुसूचित जाति निवासी ग्राम/मु0 अकबराबाद, डाकखाना मूसानगर तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर देहात, जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) निदेशक/प्राचार्य, पता– Prof. J.P. Saini, Dr. AITH. Kanpur जनपद कानपुर नगर, जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उनके मध्य निष्पादित किया गया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तों आदि दशोमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तों का स्वीकार करते है:–

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशोमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेग एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसाद देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एव द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों का छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभागी करेगा।

उत्तर प्रदेश दशोमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को संस्था को देय समस्त शुल्क वहन का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

KANPUR (U.P.) Regd. No. 67/14 UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष : हस्ताक्षर Jaysingh	द्वितीय पक्ष : हस्ताक्षर ....
नाम Jaysingh	नाम व पदनाम........
पिता/पति का नाम Ramsevak	पिता/पति का नाम........
पता Akbrabad Moosanagar kanpur Dehat	पता........

साक्षी सं.1	साक्षी सं.2
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम व पदनाम ....
पिता/पति का नाम........	पिता/पति का नाम........
पता	पता ....

...whom before me this day ... by Sri ... whom ... contents of this affidavit have been read over and explained which ... identified by Sri ...

M. N. Srivastava Advocate
Govt. Notary Kanpur